भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2474

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैपेक्स प्रोत्साहन योजनाएं

2474. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन से सम्बद्ध तथा डिजाइन से सम्बद्ध कैपेक्स प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या इस उद्देश्य के अनुसरण में कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान की वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और युवाओं के रोजगार की गुणवत्ता के संदर्भ में इन योजनाओं का कोई समन्वित परिणाम क्या रहा है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): जी, हां। सरकार ने उत्पादन संबद्ध, डिजाइन संबद्ध कैपेक्स प्रोत्साहन स्कीम कार्यान्वित की है। **डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई), पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रोत्साहन स्कीम और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम** नवप्रयोग को बढ़ावा देकर, विनिर्माण को प्रोत्साहित करके तथा आयात निर्भरता कम करके समग्र रूप से भारत के **आत्मनिर्भर भारत** मिशन की दिशा में आगे ले जाती है। डीएलआई स्कीम प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पाद डिजाइन को प्रोत्साहित करती है, कैपेक्स स्कीम अवसंरचना विस्तार में सहायता करती है और पीएलआई स्कीम विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देती है। कुल मिलाकर ये पहलें भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं, आयात निर्भरता को कम करती है तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं। स्कीम-वार ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम:

सरकार ने, देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण ईकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता में, i. भारत में सेमीकंडक्टर फैब आधारित सिलिकॉन कॉम्प्लिमेंटरी मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, ii. भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, iii. भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटॉनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर्स (माइक्रो इलेक्ट्रो-

मैकेनिकल सिस्टम्स सहित) फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण (ओएसएटी) की स्थापना के लिए समान आधार पर 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

यह कार्यक्रम, चिप डिजाइन को प्रोत्साहन देने के लिए 15 करोड़ प्रति आवेदन की सीमा के अध्यधीन, पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन तथा 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन, 5 वर्ष के दौरान निवल बिक्री के 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का 'डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' भी उपलब्ध कराता है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 5 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, जिसका कुल निवेश लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, भारतीय उत्पादों के लिए चिप डिजाइन करने हेतु डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को भी अनुमोदित किया गया है। साथ ही, 41 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को उन टूल्स (जिन्हें ईडीए टूल कहा जाता है) तक पहुंच प्रदान करने का अनुमोदन दिया गया है, जो चिप की डिजाइनिंग के लिए अपेक्षित है। इन्हें सी-डैक बेंगलुरु में स्थित चिपइन सेंटर में स्थापित नेशनल ईडीए टूल ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत अनुमोदित सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं से उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी लगभग 25 हजार प्रत्यक्ष रोजगार तथा लगभग 60 हजार अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। सरकार ने दक्षता को बढ़ाने तथा उत्पादन प्रक्रिया (साइकिल टाइम) में तेजी लाने के लए समीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के आधुनिकीकरण को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0

आईटी हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने दिनांक 29.05.2023 को आईटी हार्डवेयर संबंधी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम 2.0 अधिसूचित की है, जिसका परिव्यय 17,000 करोड़ रुपए है। यह स्कीम पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए, भारत में विनिर्मित तथा लक्षित वर्ग में आने वाली वस्तुओं की निवल वृद्धिमान बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) के लगभग 5 प्रतिशत का औसत प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। लक्षित वर्ग के उत्पादों में ये उत्पाद शामिल हैं: लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 अभी प्रारंभिक चरण में है और पीएलआई-पश्चात् प्रभाव दिखाई देने में कम-से-कम दो वर्ष और लगेंगे।

व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है। स्कीम की अवधि के दौरान, स्कीम के तहत अनुमोदित कंपनियों द्वारा लगभग 8,12,550 करोड़ रुपए का कुल उत्पादन, 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और 2,00,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।

अक्तूबर, 2024 तक, एलएसईएम के लिए पीएलआई स्कीम के तहत अनुमोदित कंपनियों ने 9,349 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है, जिससे 6,14,115 करोड़ रुपए का कुल उत्पादन हुआ है तथा 1,28,688 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) सृजित हुआ है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-सिप्स)

कमियों को दूर करने, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने, प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए, सरकार द्वारा जुलाई, 2012 में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-सिप्स) की शुरुआत की गई थी। यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए 20-25 प्रतिशत सब्सिडी (एसईजेड इकाइयों के लिए 20 प्रतिशत और गैर-एसईजेड इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत) उपलब्ध कराती है। ये प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और उत्पाद घटकों की 44 श्रेणियों के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध हैं। देश में किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ईएसडीएम को एमसिप्स के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध थे। नए आवेदनों के लिए यह स्कीम 31 दिसंबर 2018 को बंद कर दी गई है।

30 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 82,734 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 316 आवेदन विचाराधीन हैं। इन 316 आवेदनों में से, 80,725 करोड़ रुपए के निवेश तथा 9,980 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन वाले 315 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत 2535.54 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

315 अनुमोदित इकाइयों में से, 293 इकाइयों ने 45,209 करोड़ रुपए का निवेश संसूचित किया है तथा 275 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। अब तक कुल 4,80,614 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया गया है। उत्पादन के अधीन इकाइयों ने 13,56,824 करोड़ रुपए की कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) की है, जिसमें 3,16,344 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के संवर्धन के लिए स्कीम

सरकार ने कैपेक्स प्रोत्साहन स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के संवर्धन के लिए स्कीम (स्पेक्स) अधिसूचित और कार्यान्वित की है। 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिह्नित सूची के लिए पूंजीगत व्यय के 25 प्रतिशत की वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला शामिल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई, एटीएमपी इकाई, विशेष सब-असेंबली और उपयुक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएं।

इस स्कीम के तहत, 14,797.62 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 52 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 8,330.61 करोड़ रुपए का अनुमोदित कैपेक्स तथा 2,082.65 करोड़ रुपए का अनुमोदित प्रोत्साहन शामिल है। नवंबर, 2024 तक कुल 34,670 रोजगार सृजन हुआ है।

*****